न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दावा सं० 87/16

बलबीर बनाम मंगल

26/4/16 वादी मय वकील उप० दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। नियमानुसार पत्रावली दिनांक 24/5/16 को पेश हो।

4/5/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 29/6/16 को पेश हो।

29/6/16 पत्रावली कैम्प कोर्ट टहलैली में पेश हुई वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादी। मंगल ने प्रा.पत्र अवेयरनेस पेश किया कि पुत्रों के अलावा 4 पुत्रियां भी जायदाद हीजो सन्तोष - अला-बतो - सुआ है सुआ फौत हो चुकी है जिसका एक पुत्र नरेश है ये सभी मेरे उत्तराधिकारी हैं वादी ने अपने पक्ष में नहीं स्वयं हैं दस्ता अवेयर किया बाकी वादी की ओर से भी जवाब में कोई जवाब नहीं दिया व उक्त उत्तराधिकारियों को पार्टी नहीं बनाना स्वीकार किया। प्रकरण पर विचार किया गया वादी ने तथ्य जानबूझकर छिपाया जाना प्रतीत होता है अतः दस्ता अवेयर होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर अदालतों में दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में किया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

बलबीर
मीनाराम
पूरण
मंगल
फकीर सिंह